Post Graduate Institute of Veterinary Education and Research (PGIVER)
(A Centre of Excellence for Higher Veterinary Education)
(Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Jobner) Jaipur)
N.H.-11, Agra Road, Jamdoli, Jaipur – 302031

Dr. (Prof.) Dharm Singh Meena
DEAN

E-mail: pgiverjaipur@gmail.com
Ph. No.: 0141-2681211

F.6 ( ) /PGIVER/Purch/2025/ 1023 Date: 21-8-2025

खुली बोली सूचना
(वर्ष 2025–26)

संस्थान के कैन्टीन संचालन की खुली बोली–03 / 2025–26 के कार्य हेतु खुली बोली आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.	विवरण	खुली बोली क्रमांक	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली सुरक्षा राशि	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी व समय	बोली खोलने की तिथी व समय	SPPP पोर्टल पर आवंटित UBN No.
01	कैन्टीन संचालन की खुली बोली	OGT-03	500/-	10000/-	28.08.2025 दोपहर 2.00 बजे	28.08.2025 दोपहर 3.00 बजे	

बोली प्रपत्र, बोली शर्ते एवं अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट www.rajuvas.org एवं स्टटे पोर्टल की वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in देखी / प्राप्त की जा सकती है।

21/8/25
अधिष्ठाता

स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,

एनएच–11 आगरा रोड, जामडोली, जयपुर–302031, राजस्थान

खुली बोली सूचना संख्याः 03/ 2025–26

बोली आवेदन प्रपत्र
"कैंटीन संचालान की खुली बोली"

बोली प्रपत्र संख्या.......

(ए) कार्य का नामः – पीजीआईवीईआर, जयपुर में कैंटीन संचालन की खुली बोली

(बी) बोली सुरक्षा राशि रु. 10000/–

(सी) बोली आवेदन शुरू होने की तिथि 21/08/2025

(डी) बोलियां प्राप्त होने की तारीख और समय 28/08/2025 को दोपहर 2.00 बजे।

(ई) बोलियां खोलने की तारीख और समय 28/08/2025 को अपराह्न 3.00 बजे

(एफ) अनुबंध की अवधिः– एक (1) वर्ष रहेगी (आपसी सहमति पर नियमानुसार समयावृद्धि कि जा सकती हैं)

परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि : रु. 10000/– (रुपये दस हजार मात्र) जिसका देय राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट"अधिष्ठाता. पी.जी.आई.वी.ई.आर"जयपुर के पक्ष में देय होगा।
किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया संस्थान में संपर्क करें:

स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,
एनएच–11, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर–302031 (राजस्थान)
फोनः 0141–2681211

व.लेखाधिकारी
पी.जी.आई.वी.ई.आर,
जयपुर

स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,
एनएच–11 आगरा रोड, जामडोली, जयपुर–302031, राजस्थान

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रवधानों के अध्यधीन बोली आंमत्रित की जा रही है। संस्थान में उपलब्ध परिसर व अन्य फर्नीचर आदी के लिए "जहा है जैसी है" के आधार पर कैन्टीन संचालन के लिए किराया निर्धारण हेतु बिड आमंत्रित की जा रही है।

कैन्टीन संचालन हेतु बिड दस्तावेजो की नियम व शर्ते निम्न प्रकार रहेगीः–

1. न्यूनतम मासिक किराया 10500/– से कम नही रहेगा। जो 12 माह एक मुश्त राशि का अग्रिम भुगतान का DD से जमा कराना होगा। जिसका डी.डी Dean PGIVER, Jaipur के नाम देय होगा।
2. बिड फॉर्म /दस्तावेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rajuvas.org , https://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. सिक्योरिटी मनी कम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10000/- (शब्दों में– मात्र दस हजार) होगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किराये की प्राप्त दर प्रस्तावों में अधिकतम किराये की दर को स्वीकार किया जावेगा।
4. बोलियों को सबलेट पर देनाः अन्य फर्मों को कैंटीन कार्य को सबलेट पर देना या पुनः अनुबंधित करने की अनुमति नहीं है।
5. एक ही बोली में वैकल्पिक प्रस्तावः– एक बोली में केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। बोलीदाता द्वारा कोई भी अन्य प्रस्ताव या संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। अधिकत्म किराया प्रस्ताव स्वीकृति योग्य होगा।
6. बोलीदाता को कैंटीन लेने से पहले कुल एक वर्ष का किराये अग्रिम किराया जमा करना होगा।
7. हर महीने प्रभारी कार्यालय, भवन एवं सुरक्षा, पीजीआईवीईआर से पानी और बिजली बिल के उपभोग के अनुसार रिडिंग कराकर राशि जमा कराना बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।
   (अ) कैंटीन के संबंध में विद्युत शुल्क का भुगतान बोलीदाता को करना होगा। बिजली की वास्तविक खपत के लिए बिजली शुल्क का भुगतान विद्युत वितरण निगम द्वारा निर्धारित टैरिफ की दरों पर प्रभारी भवन एवं सुरक्षा द्वारा लगाये गये सब्ब मीटर की रिडिंग के अनुसार समस्त प्रभार का आंकलन करवाकर प्रति माह 07 तारिख तक सम्पूर्ण राशि बोलीदाता द्वारा जमा कराने की जिम्मेदारी होगी।
   (ब) जल शुल्क रु. 500 प्रतिमाह की दर से लिया जायेगा।
   विद्युत एवं जल शुल्क की राशि एक साथ ही बोलीदाता द्वारा 07 तारीख तक जमा करना होगा।
8. संस्थान में अवस्थित कैन्टीन परीसर एवं अन्य फर्नीचर आदी की सूची प्रभारी भवन एवं सुरक्षा द्वारा तैयार की जावेगी। सफल बोलीदाता से अनुबंध के पश्चात् उक्त सामग्री की प्राप्ती रशीद बोलीदाता से ली जावेगी। अनुबंध समाप्ति पर पुनः प्राप्त की जावेगी।
9. कैन्टीन परीसर में मौजूदा फर्नीचर एवं उलपब्ध कराई गई अन्य सामान जो संस्थान द्वारा बोलीदाता को सुपुर्द किया जाएगा, जिसका उचित रखरखाव बोलीदाता द्वारा समुचित रूप से किया जायेगा। फर्नीचर के चोरी–टूटफूट आदि के नुकसान का आंकलन संस्थान के प्राधिकारी / गठित समीति द्वारा निर्धारित की गई राशि या समान वस्तु /सामान की लागत के साथ प्रतिस्थापन करना बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। (अधिष्ठाता या इस मामले में अधिष्ठाता द्वारा अधिकृत कोई अन्य समिति/सदस्य)।
10. क्रॉकरी व बर्तन आदि की व्यवस्था बोलीदाता को अपने खर्चे पर करनी होगी, इस शर्त के साथ कि सेवा के लिए उपयोग की जाने वाली क्रॉकरी की गुणवत्ता खाद्य मानको के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाली होगी।
11. अधिष्ठाता या इन के द्वारा नामित सदस्य/ गठित समिति को किसी भी समय बिना सूचना के भोजन, नाश्ता, पेय एवं अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाली कच्ची सामग्री/ निर्मित माल की गुणवत्ता की जांच, निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
12. भोजन, नाश्ता, पेय एवं अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल अच्छी गुणवत्ता का होगा। FSSAI/ ISI Mark समकक्ष अधिनियम के मानदंडों की पालना करने वाले प्रसिद्ध ब्रांडों द्वारा प्रमाणित होगा।

बोलीदाता हस्ताक्षर

13. कैंटीन में परोसे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ ताजा और अच्छी गुणवत्ता के उपलब्ध कराने होगें।
14. बोलीदाता द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ घटिया पाए जाने या परोसे जाने पर, उपयोग कर्ता को शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य होने पर समीक्षा रिर्पोट के अनुसार चिकित्सा कराने की जिम्मेदारी बोलीदाता होगी।
15. खाद्य पदार्थों के रूप में दी जाने वाली सभी सामग्री और उनके कंटेनर, क्रॉकरी,पैकिंग और स्वच्छता ,सफाई की गुणवत्ता का रखरखाव बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। अधिष्ठाता या नामित सदस्य/ इन के द्वारा गठित समिति को इसकी जॉच और निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
16. बोलीदाता के पास सक्षम प्राधिकारी से खाद्य लाइसेंस होना चाहिए। अधिकृत खाद्य लाइसेंस की एक प्रति बिड दस्तावेज के साथ संलग्न करनी होगी, अन्यथा बिड स्वीकार नहीं की जाएगी।
17. कैंटीन कार्यालय समय से 2 घंटा पहले खोलनी होगी तथा सांय काल 6.00 बजे तक/ तत् समय दिये गये निर्देशानुसार बंद होगीं।
18. बोलीदाता छुट्टियों और अवकाश के दिनों में भी भवन, फर्नीचर, पंखे, फिक्स्चर आदि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
19. बोलीदाता द्वारा कैंटीन परिसर में कोई वृद्धि या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
20. बोलीदाता को भवन एवं आस–पास साफ–सफाई रखनी होगी। कचरे का प्रति दिन निस्तारण करना होगा एवं निरीक्षण के दौरान खामि पाई जाने पर प्रस्तावित दंडनिय राशि बोलीदाता से वसूल की जावेगी।
21. बोलीदाता द्वारा नियोजित व्यक्ति को कैफेटेरिया में काम करते समय साफ–सुथरी पोशाक पहननी होगी, जो अधिमानतः ड्रेस कोड के अनुसार होगी।
22. बोलीदाता द्वारा सेवा /सामग्री उधार लेने एवं देने पर समस्त भुगतान चुकाने एवं लेने की समस्त जिम्मेदरी बोलीदाता की होगी।
23. यह सलाह दी जाती है कि कैंटीन में व्यवसाय नकद/ओनलाईन भुगतान के आधार पर किया जाना चाहिए।
24. कैंटीन में भुगतान लेनदेन केवल भारतीय मुद्रा में ही होगा और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीनों वाले वॉलेट को प्राथमिकता दी जाएगी।
25. ग्राहकों की जानकारी के लिए कैंटीन में वस्तुओं की दरें प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी।
26. बोलीदाता किसी भी पैक वस्तु को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक पर नहीं बेचेगा। एमआरपी लेबल वाली वस्तुओं के अलावा, मेनू वस्तुओं की बिक्री मूल्य को कॉलेज प्राधिकरण, समिति द्वारा अनुमोदित करना होगा।
27. बोलीदाता पैकेज पर अंकित समाप्ति तिथि के बाद किसी भी खाद्य पदार्थ का भंडारण और बिक्री नहीं करेगा।
28. सभी कर्मचारियों, छात्रों और मेहमानों को कैंटीन में समान सुविधाओं की व्यवस्था मिलेगी।
29. कॉलेज अधिक सुविधाएं प्रदान करने का विचार कर सकता है लेकिन बोलीदाता की ऐसी मांगों ,अनुरोध को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा।
30. बोलीदाता शैक्षिक संस्थान में बिक्री के लिए प्रतिबंधित किसी भी वस्तु जैसे तंबाकू, पान मसाला उत्पाद, सिगरेट आदि की बिक्री,सेवा प्रदान नहीं करेगा।
31. बोलीदाता द्वारा छात्रों के खिलाफ की गई किसी भी शिकायत की जांच संस्थान द्वारा नामित सदस्य/ गठित समिति द्वारा की जायेगी। हालाँकि, अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
32. बोलीदाता द्वारा किसी भी शर्त को पूरा न करने की स्थिति में, बोलीदाता की पूरी सुरक्षा राशि कॉलेज प्रशासन द्वारा जब्त की जा सकती है और अनुबंध को समाप्त किया जाने के अधिकार अधिष्ठाता पीजीआईवीईआर, के पास सुरक्षित रहेगे।
33. छुट्टी के समय और छुट्टियों के दौरान कैंटीन का संचालन प्रत्येक दिन अधिष्ठाता /नामित सदस्यसे अनुमति लेने के बाद ही किया जाएगा।
34. सुरक्षा उद्देश्य के लिए बोलीदाता को अपनी और अपने सभी श्रमिकों की पहचान और पते के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। श्रमिको का पुलिस सत्यापन करवाया जाना एवं इस संबंध में होने वाले परिवाद आदी का पूर्ण दायित्व बोलीदाता का रहेगा।
35. बोलीदाता को परिसर में अपने श्रमिकों द्वारा उचित और सभ्य व्यवहार और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना होगा और उनके मनोबल और चरित्र के संबंध में संम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

बोलीदाता हस्ताक्षर

36. बोलीदाता स्वयं कैंटीन चलाने और श्रमिकों को नियोजित करने आदि के संबंध में सभी श्रम कानूनों, ईपीएफ, ईएसआई, केंद्र,राज्य सरकार के विनियमन एवं अधिनियम के प्रावधानों की पालना पूरी करने के लिए उत्तरदायी होगा। कॉलेज परिसर में बाल श्रमिकों की सेवा की अनुमति नहीं है। इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

37. खाद्य सुरक्षा, कानूनी आवश्यकताएं, किसी एजेंसी से लाइसेंस, सेवा, कोई अन्य कर आदि सुनिश्चित करना बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।

38. अनुबंध अवधि तक फुड लाईसेंस की वैधता सुनिश्चित करना बोलीदाता का उत्तरदायित्व होगा।

39. इच्छुक बोलीदाता, व्यक्ति, फर्म के द्वारा संस्थान में उलपब्ध भवन में अवस्थित कैंटीन परिसर एवं अन्य फर्नीचर आदी का अवलोकन सोमवार से शनिवार तक कार्यालय समय में कर सकता है।

40. उपरोक्त के अलावा, प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले किसी भी अन्य अतिरिक्त नियम और शर्त के लिए, यदि आवश्यक हो, तो बोली खोलने के समय अधिसूचित किया जाएगा और बोली लगाने वाले को इसे स्वीकार करना होगा।

41. सफल फर्म / बोलीदाता को 500 रुपये के नॉन ज्युडिशिएल स्टॉप पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए अधिष्ठाता, पीजीआईवीईआर के साथ अनुबंध करना होगा

42. सफल बोलीदाता को अनुबंध / बोली की शर्तो का उल्लंघन करने पर जमा किराया व सिक्योरटी राशि जब्त कर ली जावेगी।

43. अनुबंध की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी जो किराया अधिनियम व RTPP अधिनियम 2012 एवं नियम–2013 के अनुसार आपसी सहमति से 6 माह बढाई जा सकती है।

44. संस्थान (अधिष्ठाता, पीजीआईवीईआर, जयपुर) के पास बोलीदाताओं को बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी कारण के किसी भी स्तर पर बोली, बोलियों को आंशिक, पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति निहीत होगी।

45. बोलियां बॉल पेन से भरी या स्पष्ट रूप से टाइप की जानी होगी। पेंसिल से लिखी गई, ओवरराइटिंग होने, एवं समझने में अस्पष्ट हों, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

46. अपीलः– अधिनियम व RTPP अधिनियम 2012 एवं नियम–2013 के अनुसार अपीलकर्ता निम्न प्रकार से अपील कर सकता है। किसी भी स्थिति में अपील का शुल्क / फीस रिफन्डेबल नही होगी।

i. प्रथम अपील प्राधिकारी– (शुल्क रू 2500/– का भुगतान करके) वितनियंत्रक, रूवास जोबनेर जयपुर। किसी भी स्थिति में अपील का शुल्क / फीस रिफन्डेबल नही होगी।

ii. द्वितीय अपील प्राधिकारी– (शुल्क रू. 10000/– का भुगतान करके) कुलगुरू, रूवास जोबनेर जयपुर। किसी भी स्थिति में अपील का शुल्क / फीस रिफन्डेबल नही होगी।

47. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।

अधिष्ठाता

बोलीदाता हस्ताक्षर

स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
एनएच–11 आगरा रोड, जामडोली, जयपुर–302031, राजस्थान

बोली प्रारूप
"कैंटीन संचालान की सीधी बोली"

केवल बोलीदाता फर्म द्वारा भरा जाना है:–

1. फर्म का नामः ....
2. संपर्क व्यक्ति का नाम (अधिकृत बोली हस्ताक्षरकर्ता): ....
3. पिन कोड सहित पताः ....
4. मोबाइल नंबरः–.. फोन (एसटीडी कोड के साथ) :.......................................
5. ई–मेल आईडीः ....
6. वेबसाइट (यदि कोई हो): ....
7. सुरक्षा राशि सह निष्पादन सुरक्षा रु. 10000 / – डीडी नंबर..................दिनांक....................के माध्यम से जमा किया गया। (बैंक..) संलग्न है।
8. खाद्य लाइसेंस की प्रति संलग्न है (वैधता आदि सुनिश्चित की जानी चाहिए)।
9. पैन नंबर, जीएसटी नंबरः .... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
10. सेवा कर संख्याः .... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
11. उपक्रमः मैंने ,हमने सभी नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और उन्हें समझ लिया है। मैं, हम बोली के सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं और बोली प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हैं।
12. मैं, हम पीजीआईवीईआर परिसर में कैंटीन चलाने के लिए प्रति माह .... रुपये का भुगतान
करने की पेशकश करते हैं। (शब्दों में ....)

हम समझते हैं कि हमें लागू मासिक बिजली और पानी शुल्क और सभी आवश्यक लाइसेंस ,अनुपालन, विनियमों को सुनिश्चित करने में होने वाली किसी भी सभी लागत का भुगतान अलग से करना होगा।

दिनांकः

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नामः
पताः